10

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 33/2023

श्री राजबीर सिंह (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) ग्रा0पो0 बहादुरवास, जिला झुंझुनूं (राजस्थान), पिन कोड 333704

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 23.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.02.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 33/2023 पर दिनांक 01.02.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2023/668–69 दिनांक 01.02.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक राजस्व/2023/155 दिनांक 10.02.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी राजबीर सिंह द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2022/13 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा निश्चित समयावधि मे उपलब्ध करवा दी गई थी। प्रार्थी श्री राजबीर सिंह द्वारा पत्र दिनांक 03.11.2022 पर क्या कार्यवाही हुई तथा कितने लोगों के खिलाफ धारा 91 के प्रकरण दर्ज किये गये की सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) मे परिभाषित शब्द सूचना के अन्तर्गत नही आने के कारण कार्यालय मे उपलब्ध सूचना ही प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा सकती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक राजस्व/2023/155 दिनांक 10.02.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी राजबीर सिंह द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2022/13 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा निश्चित समयावधि मे उपलब्ध करवा दी गई थी। प्रार्थी श्री राजबीर सिंह द्वारा पत्र दिनांक 03.11.2022 पर क्या कार्यवाही हुई तथा कितने लोगों के खिलाफ धारा 91 के प्रकरण दर्ज किये गये की सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) मे परिभाषित शब्द सूचना के अन्तर्गत नही आने के कारण कार्यालय मे उपलब्ध सूचना ही प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा सकती है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही है एवं अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 23.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुंझुनूं